न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 25 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
श्रीमती जेठीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति सुनार निवासी साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. उदाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट उम्र 64 वर्ष निवासी साजियाली मूलराज द्वितीय, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार पचपदरा 3. श्रीमान हल्का पटवारी, साजियाली रूपजी राजाबेरी

अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 50 / 2022 बउनवान उदाराम वगैरह बनाम जेठीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवीसिंह महेचा उतरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा साजीयाली रूपजी राजाबेरी, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 350 / 87 रकबा 60 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खेत मौजा साजीयाली रूपजी राजाबेरी, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 88 रकबा 34.10 बीघा में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 उदाराम ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। जिसके प्रकरण संख्या 14/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपाकर न्यायालय श्री को गुमराह कर पूर्व प्रार्थना–पत्र संख्या 14/2020 के विचाराधीन रहते द्वितीय प्रार्थना–पत्र उसकी खसरे की भूमि का केवल मात्र अपीलांट महिला को तंग परेशान करने की नियत से बिना किसी कानूनी प्रावधानों के पेश किया गया। हस्तगत पत्रावली में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौके की रिपोर्ट में भू–अभिलेख अधिकारी व हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ अदालत में पेश की गई हैं, उक्त रिपोर्ट भू अभिलेख अधिकारी व हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर अपीलांट महिला व उसके परिवार के रूबरू नहीं बनवायी गई हैं एवं न ही हल्का पटवारी व भू अभिलेख अधिकारी ने अपीलांट को मौका रिपोर्ट बनवाते वक्त कोई सूचना दी उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट की ढाणीयां व पानी के टांके वगैरा बने हुए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्ट प्रावधान हैं कि अपनी सुविधा के लिये कोई रास्ते की मांग नही कर सकते क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 01 को पूर्व में पेश किए गए प्रार्थना–पत्र संख्या 14/2020 अनुसार कदीमी रास्ता उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता अपीलांट के खेत में प्रस्तावित किया है वहां अपीलांट का रहवास हैं तथा पेड़–पौधे खड़े हैं उनको हटाना पड़ेगा और भूमि को नष्ट करेंगें एवं अपीलांट की कृषि भूमि के दो टुकड़ों में बंट जायेगे। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये आपत्ति की गई कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई जबकि कानून में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए में भू अभिलेख निरीक्षक स्तर का कर्मचारी/अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर सकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट की खातेदारी भूमि के दोनों तरफ से रास्ता प्रस्तावित किया गया जिससे अपीलांट के उपभोग एवं उपयोग में बाधा कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उत्तरदाता स्वयं द्वारा पूर्व में पेश आवेदन में रास्ता अन्य भूमि में से होकर चाहा गया जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति होने के बावजूद भी विचार नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 50/2022 बउनवान उदाराम वगैरह बनाम जेठीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर